सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 651 राँची, शुक्रवार

13 भाद्र, 1937 (श०)

4 सितम्बर, 2015 (ई०)

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

संकल्प

27 अगस्त, 2015

विषय : राज्य औषधि नीति, 2004 की कंडिका-(3) एवं कंडिका-(5) (i) की उप कंडिका-(2) में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में।

संख्या-16/नीति निर्धारण-03-02/2015-**125(16)--**विभागीय संकल्प संख्या-153 दिनांक 9 जून, 2004 द्वारा झारखण्ड राज्य औषधि नीति गठित किया गया है। इस नीति की कंडिका-(3) में दो नीतियों का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित नीतियों को प्रतिष्ठापित किये जाने की आवश्यकता है :-

(3) राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में ओ0पी0डी0 एवं आई0पी0डी0 के मरीजों को केवल जेनरिक दवाओं का ही परामर्श चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा दिया जाना।

(4) राज्य सरकार द्वारा घोषित Essential Drugs List की दवाओं को राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में ओ0पी0डी0 एवं आई0पी0डी0 के मरीजों को निशुल्क उपलब्ध कराना।

2. झारखण्ड राज्य औषधि नीति की कंडिका-5.1 की उप कंडिका-(2) में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित औषधि अधिप्राप्ति समिति द्वारा दवाओं की अधिप्राप्ति किया जाना है।

3. विभागीय संकल्प संख्या-155(6) दिनांक 6 अप्रैल, 2013 द्वारा इस विभाग के अन्तर्गत झारखण्ड मेडिकल एण्ड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट एण्ड प्रोक्यूरमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया है। इस विभाग के अन्तर्गत सभी अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों, प्रयोगशालाओं एवं अन्य संस्थानों के लिए औषधि, सर्जिकल, सूचर्स आदि का क्रय इस कॉरपोरेशन के माध्यम से किया जाना है।

अतः राज्य औषधि नीति, 2004 की कंडिका-5.1 की उप कंडिका-(2) निम्नवत् प्रतिष्ठापित किया जाता है:-

(i) इस विभाग के अन्तर्गत गठित झारखण्ड मेडिकल एण्ड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट एण्ड प्रोक्यूरमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड विभाग के सभी अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों, प्रयोगशालाओं एवं अन्य प्रतिष्ठानों के लिए Central Procurement Agency के रूप में कार्य करेगा। यह कॉरपोरेशन Articles of Association, Memorandum एवं Board of Directors के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ से प्राप्त समेकित अधियाचना (Indent) के अनुरूप विधिवत् क्रय की कार्रवाई निम्नलिखित शर्तों के साथ करेगा :-

a) केवल जेनरिक दवाओं का ही क्रय किया जाय।

b) झारखण्ड मेडिकल एण्ड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट एण्ड प्रोक्यूरमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड अपने वार्षिक बजट से 1.25 (सवा) गुणा से अधिक का क्रयादेश निर्गत नहीं करेगा। यह इसलिए आवश्यक है कि निर्धारित राशि से बहुत ज्यादा राशि का टेण्डर नहीं होने पाये।

c) झारखण्ड मेडिकल एण्ड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट एण्ड प्रोक्यूरमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड दवा एवं उपकरण का क्रय करने के अतिरिक्त जहाँ आवश्यक हो, वहाँ दर निर्धारित कर संबंधित सिविल सर्जन/अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज को सूचित करेंगे। यह एक Enabling Provision रहेगा।

d) भारत सरकार के नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राईसिंग अथॉरिटी (NPPA) द्वारा जीवन-रक्षक दवाओं का अधिकत्तम मूल्य निर्धारित किया जाता है। दवा क्रय करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि टेण्डर द्वारा प्राप्त दर किसी भी परिस्थिति में NPPA द्वारा निर्धारित दर से अधिक न हो।

(ii) आपदा/आपात परिस्थिति में औषधियों की अधिप्राप्ति:- किसी भी तरह की आपदा अथवा आपात स्थिति में जबकि ऐसी औषधियों के लिए मांग पत्र जारी हुआ हो जिसका दर एवं आपूर्ति कॉरपोरेशन के द्वारा निर्धारित नहीं की गई हो, वैसी परिस्थिति में कॉरपोरेशन डी0जी0एस0 एण्ड डी0 अथवा केन्द्रीय/अन्य राज्य सरकार/सरकारी संस्था एवं उपक्रम/मेडिकल कॉरपोरेशन आदि द्वारा अगर उन औषधियों का दर/आपूर्तिकर्ता उनके द्वारा निर्धारित हो तो उक्त आपूर्तिकर्ता से एकरारनामा कर औषधियों की अधिप्राप्ति हेतु सीधे कार्रवाई करने में सक्षम होगा।

(iii) अल्प खपत/जीवन रक्षक औषधियों की स्थानीय स्तर पर अधिप्राप्ति:- अत्यन्त अल्प खपत वाली औषधियों/आपात एवं विशेष परिस्थिति में उपयोग में आने वाली औषधियों तथा ऐसी औषधियाँ जिनका मांग पत्र पर संख्या अत्यन्त अल्प है, उक्त औषधियों को स्थानीय स्तर पर अधिप्राप्ति हेतु एक निश्चित राशि जिला स्तर पर सिविल सर्जन एवं संस्थानिक स्तर पर अधीक्षक को उपलब्ध कराने के संबंध में प्रशासी विभाग दिषा निदेश जारी करेगा। उक्त राशि सीधे विभाग द्वारा आवंटित किया जा सकेगा अथवा उक्त को कॉरपोरेशन के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जा सकेगा।

4. एतद् विषयक संलेख को राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक 18 अगस्त,2015 को संपन्न बैठक के मद संख्या-3 के रूप में स्वीकृत की गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

के0 विद्यासागर,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 651—50 ।